

झारखण्ड सरकार  
वन एवं पर्यावरण विभाग

स्वी०संख्या-4/यो०ब०-67/2015 22/द्वी० व०प० राँची, दिनांक- 01.07.2015

प्रेषक,

ए०के० रस्तोगी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली "पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत 33964 बीस गैबियन से वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) एवं सम्पोषण कार्य (तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल 622.635 लाख (छः करोड़ बाईस लाख तिरसठ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 260.294 लाख (दो करोड़ साठ लाख उनतीस हजार चार सौ) रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कार्यान्वित की जानेवाली "पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुल रु० 2036.320 लाख (बीस करोड़ छत्तीस लाख बत्तीस हजार) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इस योजना अंतर्गत आम नागरिकों को स्वच्छ, स्वास्थ्यकारक एवं आरामदेह वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सड़कों के किनारे एवं शहरों और उसके आस-पास खाली पड़ी सरकारी भूमि/ परिसरों यथा स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परिसर आदि में, झील/ तालाब, नदी/ नाला के किनारे और पहाड़ियों पर उपर्युक्त छायादार/ फल एवं फूलदार इमारती काष्ठ/ अन्य सौन्दर्यकारक प्रजातियों का वृक्षारोपण किया किया जाता है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में विभिन्न थीम पर पार्कों का निर्माण एवं विकास कार्य किया जाता है।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना (अन्य व्यय) के अधीन कुल 622.635 लाख (छः करोड़ बाईस लाख तिरसठ हजार पाँच सौ) रुपये की लागत पर कार्यान्वित की जाने वाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-1) की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी अग्रार्कित है:-

nk  
h r h d

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	प्राथमिक इकाई	वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक का स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य				
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल राशि
1.	33964 अदद बॉस गैबियन से वृक्षारोपण	33964 अदद बॉस गैबियन	मजदूरी	131.774	98.034	88.582	97.439	415.829
			आपूर्ति एवं सामग्री	128.520	31.077	23.604	23.605	206.806
कुल				260.294	129.111	112.186	121.044	622.635

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्षवार/ इकाईवार राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र क्रोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय, उप शीर्ष 13-पथतट-रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना	मजदूरी	19P240601800130103	1667.660	432.774
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601800130323	368.660	128.520
कुल राशि-(दो करोड साठ लाख चत्तीस हजार चार सौ रुपये)			2036.320	260.294

5. पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना (अन्य व्यय) के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक, कार्य योजना तैयार कर दिनांक 30 जून 2015 तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे, जिनके स्तर से उक्त कार्य योजना दिनांक 10 जुलाई 2015 तक अपनी स्पष्ट अनुशांसा के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास को उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा विभिन्न वन प्रमंडलों में उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए तत्संबंधी सूचना वन एवं पर्यावरण विभाग को भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार / उप कोषागार से की जायेगी।

7. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आर्लोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

22/2/2015  
01.07.2015



20. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।


21. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जाएगा।

22. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।


23. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन


अनु०-यथोक्त।




  
(ए०के० रस्तोगी)  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक -4/यो०ब०-67/2015 22/स्वी० व०प०/रांची दिनांक-01.07.2015  
प्रतिलिपि :- सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची / विकास आयुक्त, झारखंड, राँची / योजना एवं विकास विभाग, झारखंड, राँची / वित्त विभाग, झारखंड, राँची / सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(ए०के० रस्तोगी)  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक -4/यो०ब०-67/2015 22/स्वी० व०प०/रांची दिनांक-01.07.2015  
प्रतिलिपि :- सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषांग पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(ए०के० रस्तोगी)  
सरकार के विशेष सचिव।

24/   

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली 'पथट रोपण-सह-शहरी वानिकी' योजना (अग्रिम व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम व तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹0 187.43, वर्ष 2016-17 में ₹0 200.00, वर्ष 2017-18 में ₹0 226.79 एवं वर्ष 2018-19 में ₹0 249.47 प्रति मानव दिवस)

(राशि मात्र)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	गैबियन की सं०	वित्तीय वर्ष 2015-16 (अग्रिम कार्य)			वित्तीय वर्ष 2016-17 (समापन कार्य)			वित्तीय वर्ष 2017-18 (सम्पोषण कार्य)			वित्तीय वर्ष 2018-19 (सम्पोषण कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			387.98	378.40	766.38	288.64	91.50	380.14	260.81	69.50	330.31	286.89	69.50	356.39
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
1	रौंघी वन प्रमण्डल	4000	15.519	15.136	30.655	11.546	3.660	15.206	10.432	2.780	13.212	11.476	2.780	14.256
2	खूँटी वन प्रमण्डल	1500	5.820	5.676	11.496	4.330	1.373	5.702	3.912	1.043	4.955	4.303	1.043	5.346
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल	2000	7.760	7.568	15.328	5.773	1.830	7.603	5.216	1.390	6.606	5.738	1.390	7.128
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल	1500	5.820	5.676	11.496	4.330	1.373	5.702	3.912	1.043	4.955	4.303	1.043	5.346
5	गुमला वन प्रमण्डल	1500	5.820	5.676	11.496	4.330	1.373	5.702	3.912	1.043	4.955	4.303	1.043	5.346
6	लातेहार वन प्रमण्डल	2000	7.760	7.568	15.328	5.773	1.830	7.603	5.216	1.390	6.606	5.738	1.390	7.128
7	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	2500	9.700	9.460	19.160	7.216	2.288	9.504	6.520	1.738	8.258	7.172	1.738	8.910
8	सरायकेला वन प्रमण्डल	2000	7.760	7.568	15.328	5.773	1.830	7.603	5.216	1.390	6.606	5.738	1.390	7.128
9	चाईबासा वन प्रमण्डल	1500	5.820	5.676	11.496	4.330	1.373	5.702	3.912	1.043	4.955	4.303	1.043	5.346
10	कोल्हान वन प्रमण्डल	500	1.940	1.892	3.832	1.443	0.458	1.901	1.304	0.348	1.652	1.434	0.348	1.782
11	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	500	1.940	1.892	3.832	1.443	0.458	1.901	1.304	0.348	1.652	1.434	0.348	1.782
12	दुमका वन प्रमण्डल	1000	3.880	3.784	7.664	2.886	0.915	3.801	2.608	0.695	3.303	2.869	0.695	3.564
13	गोड्डा वन प्रमण्डल	1000	3.880	3.784	7.664	2.886	0.915	3.801	2.608	0.695	3.303	2.869	0.695	3.564
14	पाकुड़ वन प्रमण्डल	500	1.940	1.892	3.832	1.443	0.458	1.901	1.304	0.348	1.652	1.434	0.348	1.782
15	साहेबगंज वन प्रमण्डल	500	1.940	1.892	3.832	1.443	0.458	1.901	1.304	0.348	1.652	1.434	0.348	1.782
16	जामताड़ा वन प्रमण्डल	500	1.940	1.892	3.832	1.443	0.458	1.901	1.304	0.348	1.652	1.434	0.348	1.782
17	सा0वा0 प्रमण्डल, लातेहार	1964	7.620	7.432	15.052	5.669	1.797	7.466	5.122	1.365	6.487	5.635	1.365	6.999
18	सा0वा0 प्रमण्डल, रौंघी	2500	9.700	9.460	19.160	7.216	2.288	9.504	6.520	1.738	8.258	7.172	1.738	8.910
19	सा0वा0 प्रमण्डल, सिमडेगा	1500	5.820	5.676	11.496	4.330	1.373	5.702	3.912	1.043	4.955	4.303	1.043	5.346
20	सा0वा0 प्रमण्डल, आदित्यपुर	1500	5.820	5.676	11.496	4.330	1.373	5.702	3.912	1.043	4.955	4.303	1.043	5.346
21	सा0वा0 प्रमण्डल, चाईबासा	1500	5.820	5.676	11.496	4.330	1.373	5.702	3.912	1.043	4.955	4.303	1.043	5.346
22	सा0वा0 प्रमण्डल, दुमका	1500	5.820	5.676	11.496	4.330	1.373	5.702	3.912	1.043	4.955	4.303	1.043	5.346
23	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका	500	1.940	1.892	3.832	1.443	0.458	1.901	1.304	0.348	1.652	1.434	0.348	1.782
योग :-		33964	131.774	128.520	260.294	98.034	31.077	129.111	88.582	23.604	112.186	97.439	23.605	121.044

1/1/15

22/1/15  
01.07.2015

(ए0के0 रस्तीप0)  
सरकार के विशेष अधिकारी